न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 05 / 2024

प्रविष्टि दिनांक 10.09.2024

जरिये रामभजन मीना,प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक

– प्रार्थी

बनाम

मै0 राजकुमार जैन प्रोपराईटर मै.जैन नमकीन भण्डार निवाई अंहिसा सर्किल बस स्टेण्ड निवाई

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय **दिनांक** 03.12.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 22.08.2024 को जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन अधिकारी के साथ मै. जैन नमकीन भण्डार, निवाई अंहिसा सर्किल बस स्टेण्ड निवाई, टोंक पहुंचें। मौके पर व्यवसाय स्थल की जॉच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री राजकुमार जैन द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 Kg) को ईधन के रूप में अवैध रूप से कचौरी/समोसा बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 9 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से कचौरी/समोसा बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 9 सिलेण्डर मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

न्यायालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1.	899946T	IOC	14.2	15.3	23.4	8.1
2.	119928	IOC	14.2	15.5	18.7	3.2
3.	0677877S	IOC	14.2	15.8	29.7	13.9
4.	968223E	IOC	14.2	15.7	22.4	7.3
5.	109030T	HP	14.2	15.9	15.9	00
6.	911050	HP	14.2	15.5	29.5	14.00
7.	512025E	IOC	14.2	15.7	29.7	14.00
8.	115538S	HP	14.2	15.3	15.3	00
9.	957646	HP	14.2	15.9	15.9	00
						60.5 K.G.

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर कचौरी/समोसा बनाने में ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः उक्त जब्तशुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 60.5 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 22.08.2024 को जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन अधिकारी के साथ मै. जैन नमकीन भण्डार, निवाई अंहिसा सर्किल बस स्टेण्ड निवाई, टोंक पहुंचें। मौके पर व्यवसाय स्थल की जॉच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री राजकुमार जैन द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 Kg) को ईधन के रूप में अवैध रूप से कचौरी/समोसा बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 9 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से कचौरी/समोसा बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 9 सिलेण्डर मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर कचौरी/समोसा बनाने में

जिला कलेक्टर
टोंक

ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त 9 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 60.5 Kg एलपीजी गैस को जब्त किया गया तथा जब्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु प्रतीक गैस एजेन्सी निवाई के प्रतिनिधि श्री हेमराज कुमावत की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें।व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 9 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 60.5 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 22.08.2024 के अनुसार मै0 राजकुमार जैन प्रोपराईटर मै. जैन नमकीन भण्डार निवाई अंहिसा सर्किल बस स्टेण्ड निवाई की दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 09 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर कचौरी/समोसा बनाने मे प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1.	899946T	IOC	14.2	15.3	23.4	8.1
2.	119928	IOC	14.2	15.5	18.7	3.2
3.	0677877S	IOC	14.2	15.8	29.7	13.9
4.	968223E	IOC	14.2	15.7	22.4	7.3
5.	109030T	HP	14.2	15.9	15.9	00
6.	911050	HP	14.2	15.5	29.5	14.00
7.	512025E	IOC	14.2	15.7	29.7	14.00
8.	115538S	HP	14.2	15.3	15.3	00
9.	957646	HP	14.2	15.9	15.9	00
						60.5 K.G.

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यो में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 09 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर खुशीराम,हंसराज कुमावत तथा राजकुमार जैन के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी खुशीराम,हेमराज कुमावत तथा राजकुमार जैन

जिला कलेक्टर
टोंक

के हस्ताक्षर है तथा प्रतीक गैस एजेन्सी निवाई के प्रतिनिधि श्री हेमराज कुमावत के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से कचौरी/समोसा बनाने का कार्य कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 09 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 60.5 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक